दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

**SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY**

मुख्यालय, कार्मिक विभाग, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, आर.टी.एस. कॉलोनी, बिलासपुर (छ.ग.) 495004

HEADQUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, RAILWAY RECRUITMENT CELL, R.T.S. COLONY, BILASPUR (C.G.) 495004

No. P-HQ/RRC/GDCE/01/2021/269 Date: 10.08.2021

जारी होने की तिथि: **11.08.2021**

अंतिम तिथि: **10.09.2021 (23.59 बजे तक)**

# सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जीडीसीई)

## जीडीसीई नोटिफिकेशन नंबर– 01/2021

(वेबर ाईट: www.secr.indianrailways.gov.in → Recruitment → RRC Bilaspur → GDCE-01/2021)

**1.** सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जीडीसीई) के अंतर्गत् रिक्तियों को भरने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सेवारत् और नियमित रेलवे कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारीयों को छोड़कर) से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं [जो कर्मचारी प्रशिक्षु हैं या एवजी (substitute) हैं जिनका नियमितीकरण न हुआ हो, ऐसे कर्मचारी जीडीसीई हेतु योग्य नहीं हैं]। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इस नोटिफिकेशन के सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेवें। संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों का लियन (lien) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में मेन्टेन होना चाहिए।

उम्मीदवार एक पद के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करें। एक उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि वे योग्य हैं। हालांकि, प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

**2.** समुदायवार विवरण, चिकित्सा श्रेणी और भरे जाने वाले पदों की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नीचे दी गयी है:

| क्र. नं. | पद का नाम | पे–लेवल (7th सीपीसी) | रिक्तियों की संख्या | | | | | चिकित्सा श्रेणी | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अना | अजा | अजजा | अपिव–एन सीएल | कुल | | |
| 1 | कार्मिशयल–कम–टिकट क्लर्क | 3 | 22 | 07 | 03 | 12 | 44 | बी 2 | न्यूनतम 50% कुल प्राप्तांक के साथ 12 वीं (+ स्तर) अथवा इसके समकक्ष। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा 12 वीं (+ स्तर) से उच्चतर शैक्षणिक अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में 50% अंको की अनिवार्यता नहीं होगी। |
| 2 | स्टेशन मास्टर | 6 | 57 | 17 | 08 | 31 | 113 | ए 2 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अथवा उसके समकक्ष |
| 3 | गुड्स गार्ड | 5 | 162 | 48 | 24 | 87 | 321 | ए 2 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अथवा उसके समकक्ष |
| | **कुल योग** | | **241** | **72** | **35** | **130** | **478** | | |

3. **आयुसीमाः** ऊपरी आयुसीमा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 47 वर्ष होगी। आयु की गणना **01.01.2022** के आधार पर की जाएगी।

| उम्र | जन्म तिथि की ऊपरी सीमा (इससे पहले न हो) | | | जन्म तिथि की निचली सीमा (इससे बाद में न हो) |
|---|---|---|---|---|
| | सामान्य | अ.पि.वर्ग (एनसीएल) | अजा/अजजा | 01.01.2004 |
| | 18 से 42 | 18 से 45 | 18 से 47 | |
| | 02.01.1980 | 02.01.1977 | 02.01.1975 | |

### 3.1) आयु का प्रमाण

मैट्रिक/एसएससी/एचएसएससी प्रमाण पत्र या अंकसूचि जिसमें जन्म तिथि दिया हो, जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो या स्कूल/कॉलेज प्रबंधन द्वारा जारी स्कूल छोड़ने/स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो। उम्मीदवारों द्वारा उल्लेखित जन्म तिथि भी उनके सेवा पुस्तिका में दर्ज की गई जन्म तिथि से मेल खानी चाहिए।

4. **आवेदन शुल्कः** शून्य

### 5. सामान्य अनुदेशः

5.1) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सभी नियमित कर्मचारी जो कि नोटिफाईड पद से लोवर मूल ग्रेड/पे स्केल पर कार्यरत हैं, वे जीडीसीई के लिए आवेदन करने के योग्य हैं।

5.2) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सभी नियमित कर्मचारी जिनके लिए जीडीसीई आयोजित किया जा रहा है, उसी मूल ग्रेड/वेतमान में काम कर रहे हैं, नान सेफ्टी (Non-safety) से सेफ्टी (Safety) श्रेणी के पदो के साथ-साथ सेफ्टी (Safety) से सेफ्टी (Safety) श्रेणी के पदों के लिए जीडीसीई के लिए आवेदन करने के योग्य हैं।

उदाहरण के लिएः

| केटेगरी नंबर | नोटिफाइड पद | योग्य कर्मचारी (7th सीपीसी पे लेवल में कार्यरत) |
|---|---|---|
| 1 | कार्मिशयल-कम- टिकट क्लर्क | लेवल-1 और लेवल-2 |
| 2 | स्टेशन मास्टर | लेवल-1, लेवल-2, लेवल-3, लेवल-4, लेवल-5 और लेवल-6 |
| 3 | गुड्स गार्ड | लेवल-1, लेवल-2, लेवल-3, लेवल-4 और लेवल-5 |

5.3) उम्मीदवारों को उस पद के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है, जिस पर वे वर्तमान में कार्यरत हैं।

5.4) नोटिफिकेशन में दर्शाई गयी रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा नियुक्ति के समय प्रशासन की वास्तविक आवश्यक्ताओं के आधार पर इन्हे बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

5.5) रेल प्रशासन को परीक्षा के किसी भी स्तर पर परीक्षा की पद्धति में परिवर्तन या सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा)/सीबीएटी (कंप्यूटर आधारित अभिरूची परीक्षा)/लिखित परीक्षा को फिर से आयोजित करने या भर्ती की किसी प्रक्रिया को आंशिक रूप से या पूरी तरह से निरस्त करने का अधिकार होगा।

5.6) यदि रेलवे बोर्ड द्वारा इस संबंध में भविष्य में कोई दिशा–निर्देश/परीक्षा योजना के विस्तार के निर्देश जारी किए जाते हैं, जीडीसीई की यह परीक्षा प्रणाली तद्नुसार क्रियान्वित की जाएगी और सभी के लिए इसका अनुपालन बाध्यकारी होगा।

5.7) चयनित उम्मीदवारों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कहीं भी पदस्थापना की जा सकती है।

5.8) जीडीसीई में सम्मिलित होने वाले चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति से पहले उस पद हेतु, जिसके लिए जीडीसीई के अंर्तगत् उनका चयन हुआ है और जिसके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लागू है, निर्धारित पाठ्यक्रम को भी उत्तीर्ण करना होगा।

5.9) सीबीटी/सीबीएटी/दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों को स्वयं का अवकाश और पास लेना होगा। उपरोक्त परीक्षा में लगने वाले यात्रा समय ड्यूटी नहीं मानी जाएगी व किसी भी प्रकार के TA/DA/Conveyance Allowances देय नहीं होगा।

5.10) रेलवे बोडे के पत्र क्रमांक E(NG)I/2002/PM2/9, दिनांक 11.08.2003 के आदेशानुसार आरपीएफ एवं आरपीएसएफ कर्मचारी जीडीसीई में आवेदन नहीं कर सकते हैं।

5.11) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि (DOB), जाति, शैक्षणिक योग्यता जैसा उन्होने आवेदन में दर्ज किया है, उनके सेवा रिकॉर्ड (Service Record) की प्रविष्टियों से मेल खाना चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर काई विसंगति पाई जाती है, तो उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

5.12) चयन के मामले में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, द.पू.म.रेलवे, बिलासपुर का निर्णय अंतिम होगा।

## 6. शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवारों के पास मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से आइटम नंबर 2 में उल्लेखित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। वांछित शैक्षणिक योग्यता से उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार वांछित शैक्षणिक योग्यता हेतु परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा परिणाम की प्रतिक्षा कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारी नोटिफाईड पदों हेतु योग्य नहीं हैं। अधिसूचना (Notification) की अंतिम तिथि से पहले उम्मीदवारों के पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए एवं उनकी तत्संबंधित शैक्षणिक योग्यता कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में दर्ज होना चाहिए।

## 7. भर्ती प्रक्रिया

7.1) पोस्ट वाइज कंप्यूटर आधारित (सीबीटी) सिंगल स्टेज लिखित परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा तिथि की सूचना वेबसाइट के माध्यम से अलग से दी जाएगी। सभी कर्मचारियों/उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे लगातार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in को देखते रहें।

7.2) सभी पदों के लिए पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अधिसूचित (Notified) पदों के लिए लिखित परीक्षा आरआरबी परीक्षा के स्तर की होगी। प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी में वस्तुनिष्ठ (objective) बहुविकल्पी (multiple choice) होंगे एवं सामान्य जागरूकता, गणित, सामान्य बुद्धि और तर्क आदि से संबंधित होंगे। इस संबंध में व्यापक पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट में जाकर समान पदों के नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।

7.3) लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग (Negative marking) होगी एवं प्रत्येक गलत जवाब पर 1/3 अंक काटे जाएंगे।

7.4) लिखित परीक्षा (CBT) और अभिक्षमता परीक्षा (CBAT) {जहां लागू हो}की तिथि, समय और स्थान आरआरसी/बिलासपुर द्वारा तय किया जाएगा और योग्य उम्मीदवारों को एसएमएस/ईमेल /एसईसीआर वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। परीक्षा/अभिक्षमता परीक्षा को स्थगित करने और केन्द्र/स्थान बदलने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचाार नहीं किया जाएगा।

7.5) लिखित परीक्षा में चयनीत होने पर एवं मेरिट/प्रवीण सूची में आने पर उम्मीदवार अगले चरण के लिए जैसे अभिक्षमता परीक्षण (Aptitude Test)/दस्तावेज परीक्षण (जैसा/जहॉ उपयुक्त हो) हेतु पात्र होंगे। अभिक्षमता परीक्षण (Aptitude Test) भी ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित होगा।

7.6) दस्तावेज परीक्षण के दौरान उम्मीदवारों को सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन में सही पाये जाने एवं अन्य मापदंडो तथा निर्धारित चिकित्सा परीक्षण में उत्तीर्ण होने पर उम्मीदवार पैनल हेतु योग्य होंगे। नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उम्मीदवार पद से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सीय रूप से फिट है।

## 8. परीक्षा के चरण

| केटेगरी नंबर | पद का नाम | परीक्षा के चरण |
|---|---|---|
| 1 | कार्मिशयल–कम– टिकट क्लर्क | लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण। |
| 2 | स्टेशन मास्टर | लिखित परीक्षा के बाद अभिक्षमता परीक्षण (Aptitude Test), दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण। |
| 3 | गुड्स गार्ड | लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण। |

## 9. कैसे आवेदन करें

द.पू.म.रेलवे में पदस्थ योग्य कर्मचारी द.पू.म.रेलवे के वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

9.1) उम्मीदवार ONLINE आवेदन हेतु द.पू.म.रेलवे के वेबसाइट में दिये गये लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं तथा अपना बायो–डाटा/वांछित व्यक्तिगत विवरण सावधानी पूर्वक दर्ज करें।

9.2) उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उनके नाम/पिता का नाम एवं जन्म तिथि मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्रों में दर्ज विवरणों से मेल खाते हों।

9.3) उम्मीदवारों को आवेदन में अपना व्यक्तिगत मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी भरना है एवं पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उक्त मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी को सक्रिय रखना है, ताकि उम्मीदवारों को आवश्यक सूचना प्रदान किया जा सके।

9.4) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना (Notification) के बारे में नवीनतम जानकारी या कोई भी परिवर्तन प्राप्त करने के लिए एसईसीआर की वेबसाइट का बार–बार अवलोकन करें। उम्मीदवारों के साथ संपर्क केवल वेबसाइट, एसएमएस/ईमेल के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल अपना मोबाईल नंबर/ईमेल आईडी देवें ताकि उनसे संपर्क स्थापित रहे। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, अभिक्षमता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। उनके लिए, उन्हे केवल एसईसीआर के वेबसाईट से उपरोक्त परीक्षा के लिए बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रदान किया जाएगा।

9.5) कर्मचारी को अपना एक कलर (रंगीन) फोटो बिना टोपी का एवं बिना रंगीन चश्मों का हो; 3.5 से.मी.x 4.5 से.मी. (साईज 25–75 केबी के बीच हो, अपलोड करना है, फोटो जेपीईजी फार्मेट में होना है। कर्मचारी को यह तथ्य स्पष्ट किया जाता है कि बिना फोटो के आवेदन या फोटो के स्पष्ट या साफ न होने की परिस्थिति में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ किसी भी स्तर पर कर्मचारी का आवेदन निरस्त कर सकता

है। उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि उक्त फोटो की तीन प्रतियाँ उम्मीदवार अपने पास रखें, यदि अपलोड किये फोटो एवं अन्य फोटो में या आवेदक के चेहरे में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर उम्मीदवार का आवेदन या उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उक्त फोटो की एक प्रति एवं एक मूल फोटो पहचान पत्र, हाल टिकट/ई कॉल लेटर के साथ रखें। उन्हे यही भी सलाह दी जाती है कि आगे उपयोग के लिए उसी फोटो की 4 प्रतियां अपने पास रखें।

9.6) प्रत्येक उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन के दौरान एक विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान किया जायेगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे यह विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर भर्ती की अन्य प्रक्रिया/पत्र व्यवहार करने हेतु सुरक्षित/नोट करके रखें।

9.7) हस्ताक्षरः रनिंग हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। बिना हस्ताक्षर वाले आवेदनों, अंग्रेजी के बड़े (केपीटल) अक्षरों/अक्षरों के बीच अंतराल के हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9.8) बाएं हाथ के अंगूठे (LTI) का स्पष्ट निशान अपलोड करना है। बिना अंगूठे के स्पष्ट निशान वाले आवेदनों को अस्वीकार किया जा सकता है।

9.9) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं के हित में अंतिम तिथि के पूर्व ऑनलाईन आवेदन कर देवें जिससे की अंतिम समय में कठनाई न हो।

9.10) उम्मीदवार आवेदन की कम से कम दो प्रिंट निकाल लें और उसे अपने पास रखें।

## 10. ऑनलाईन आवेदन करने के चरणबद्ध तरीका

10.1) ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित संलग्नकों की प्रतियां जेपीईजी फार्मेट में स्केन कर तैयार रखें:

1. पासपोर्ट साईज फोटो।
2. स्केन किया हुआ हस्ताक्षर।
3. स्केन किया हुआ बाएं अंगूठे का निशान (LTI) ।
4. जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता एवं जाति (अजा/अजजा, अपिव) हेतु स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।

10.2) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वेबसाइट को देखें: www.secr.indianrailways.gov.in →Recruitment → RRC Bilaspur→ GDCE-01/2021

10.3) ''NOTIFICATION FOR GDCE - 01/2021'' लिंक पर क्लिक करें।

10.4) ''न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक'' पर क्लिक करें।

10.5) कर्मचारी नंबर (11 अंक) और जन्म तिथि दर्ज करें और continue पर क्लिक करें।

10.6) व्यक्तिगत जानकारी हेतु आवेदक अपना मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी प्रदान करें। आवश्यक जानकारी अपलोड करने के बाद आवेदक को एक ईमेल या एसएमएस प्राप्त होगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड प्राप्त होगा।

10.7) ई मेल/एसएमएस द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर लॉगिन करें।

10.8) अनुदेशों का पालन करें एवं चरणबद्ध तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।

10.9) स्केन किये हुए फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान (LTI), स्वयं सत्यापित वांछित दस्तावेज जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता एवं जाति (अजा/अजजा, अपिव) हेतु स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अपलोड करें।

10.10) आवेदन जमा करें। आवेदन के प्रिंट आउट की 2 प्रतियां लें।

## 11. अमान्य आवेदन (Invalid Application)

निम्नलिखित कमियों, विसंगतियों या अनियमितताओं वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

11.1) अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन।

11.2) उचित स्केन किए गए फोटो के बिना आवेदन।

11.3) हस्ताक्षर के बिना आवेदन या अंग्रेजी के बड़े (केपीटल) अक्षरों/अक्षरों के बीच अंतराल के हस्ताक्षर।

11.4) बाएं अंगूठे का निशान (LTI) अपलोड न किया गया हो या अपलोड किया गया यह निशान धुंधला/धब्बेदार हो।

11.5) केवल ऑनलाइन आवेदन को स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन/हार्ड कॉपी में भेजे गए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

11.6) जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता और जाति जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में उचित प्रमाण पत्र के बिना आवेदन। उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित सेन्ट्रल गर्वमेंट फार्मेट में प्राप्त किया होना चाहिए।(उम्मीदवारों के पास अधिसूचना की अंतिम तिथि को या उससे पहले अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और उसे कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में पृष्ठांकित किया जाना चाहिए)

11.7) कोई अन्य विसंगति जैसे नाम/जन्म तिथि/पिता के नाम आदि।

## 12. आवश्यक निर्देश

12.1) जो आवेदक आरक्षित (Reserved) पदों के विरूद्ध आवेदन कर रहे हैं और/या आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं, उन्हे उचित जाति प्रमाण पत्र सही फार्मेट में अपलोड करना है (जैसा अनुलग्नक A, B & C में दिया है) अन्यथा उनका आवेदन सामान्य वर्ग के रूप में स्वीकार किया जाएगा, अगर वे सामान्य वर्ग के पात्रता शर्तें को पूरा करते हैं। उनका आरक्षित पदों पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12.2) यदि कोई कर्मचारी गलत जानकारी प्रदान करता/करती है तो उक्त कर्मचारी पर D&AR नियमों के तहत् कारवाई होगी।

12.3) चयन के मामले में अध्यक्ष/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, बिलासपुर का निर्णय अंतिम होगा।

12.4) किसी भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी नोटिफिकेशन को मान्य समझा जाएगा।

12.5)नोटिफिकेशन एवं आवेदन सबमिट करने हेतु कृपया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की वेबसाइट www.secr.indianrailways. gov.in→Recruitment→RRCBilaspur→GDCE-2021 का अवलोकन करें।

### प्रयोग की गयी संक्षिप्तयां

**सीबीटीः** कंप्यूटर आधारित परीक्षा, **सीबीएटीः** कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, **अजाः** अनुसूचित जाति **अजजाः** अनुसूचित जनजाति, **अनाः** अनारक्षित, **ओबीसीः** अन्य पिछड़ा वर्ग, **डीवीः** दस्तावेज सत्यापन **एनसीएलः** नान क्रिमीलेयर

(डॉ. अदिति पटेल)
**अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, द.पू.म.रेलवे, बिलासपुर**

प्रतिलिपिः (1) सचिव/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को महाप्रबंधक की जानकारी हेतु सादर सूचनार्थ।
(2) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/द.पू.म.रेलवे और सभी पीएचओडी/सीएचओडी/द.पू.म. रेलवे/बिलासपुर (3) मंडल रेल प्रबंधक बिलासपुर/रायपुर/नागपुर (4) मुख्य कारखाना प्रबंधक /वैगन रिपेयर शॉप/रायपुर, मुख्य कारखाना प्रबंधक/मोतीबाग वर्कशॉप/नागपुर
(5) मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) बिलासपुर/रायपुर/नागपुर एवं डब्लूपीओ – डब्लूआरएस/रायपुर तथा एमआईबी/नागपुर, उप मुख्य सामाग्री प्रबंधक/जीएसडी/रायपुर (6) जनरल सेक्रेटरी, द.पू.म.रेलवे मजदूर कांग्रेस, ऑल इंडिया एससीएसटी रेलवे इम्पलाईज एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्पलाईज एसोसिएशन, बिलासपुर।

अनुरोध है कि एसईसीआर के कर्मचारियों के बीच उपरोक्त अधिसूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

(डॉ. अदिति पटेल)
**अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, द.पू.म.रेलवे, बिलासपुर**

**Annexure -A**

## FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST

This is to certify that Shri*/Srimati/Kumari*........................................................................Son/Daughter* of Shri/Smt. ……………….........................................................of Village/Town ……………..........................................District/Division* ..................................................................... of the…………………………………………………State/UnionTerritory* belongs to the……………...........................Caste*/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste / Scheduled Tribe* (tick whichever is applicable) under:-

*The Constitution Scheduled Castes Order 1950.
*The Constitution Scheduled Tribes Order 1950.
*The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) (Part C States) Order 1951;
*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) (Part C States) Order 1951;
[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order 1956, the Bombay Re-organisation Act 1960, the Punjab Re- organisation Act 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders, (Amendment) Act 1976]
*The Constitution (Jammu and Kashmir)* Scheduled Castes Orders, 1956
*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands)* Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled *Tribes Orders (Amendment) Act, 1976
*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli)* Scheduled Castes Order, 1962.
*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes, Order, 1962
*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Orders, 1964
*The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
*The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
*The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.
*The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990
*The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991
*The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996
*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002
*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.
*The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.
2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Srimati*................................................................ father/mother*……………………………………of Shri/Srimati/Kumari ……………………………………… ............................ of Village/Town*…………...................................in Disrtict/Division* ..........................................of State/UnionTerritory* ……………..……………………who belongs to the…………………Caste*/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by the………………dated.
3. Shri/Srimati/Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in Village/Town*…………………………………………………… District/ Division*…………………………………………….of the State/ Union Territory* of……………………………………

Place.................................

Date..................................

Signature..................................................................

Designation............................................................

(with seal of Office)
State/ Union Territory...............................................

* Please delete the words which are not applicable.
@ Please quote the specific presidential order.
% Delete the Paragraph, which is not applicable
Note: (a) The term "ordinarily reside(s)' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.Officers competent to issue Caste/Tribe certificates.
1. District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / 1st Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner. 2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate. 3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar. 4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his / her family normally reside(s). 5. Certificates issued by Gazetteed Officers of the Central or of a State Government Countersigned by the District Magistrate concerned. 6. Administrator/ Secretary to Administrator (Laccadive, Minicoy and Admindivi Islands).

**Annexure -B**

## OBC CERTIFICATE FORMAT

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari..............................................................son/daughter of ............................................................of Village/Town ...............................................in District/ Division ........................................................ in the State/Union Territory ............... ................................belongs to the ....................................................... community which is recognised as a Backward Classunder the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. .............................. Dated.................. .*.

Shri/Smt./Kum.* ............................................................................. and/or his/her family ordinarily reside(s) in the.................................................District/Division of the ..........................................................State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy layer) mentioned in column 3 (of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No. 36012/22/93-Estt(SCT), dated 8.9.1993 and modified vide Government of India, Department of Personnel and Training O.M.No.36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27.05.2013 and 13.09.2017**.

Date:

**DISTRICT MAGISTRATE /**
**DY. COMMISSIONER ETC.**

**(Seal )**

*** The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate as OBC.**

**** As amended from time to time.**

**Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.**

**Annexure- C**

**DECLARATION**

**Proforma for declaration to be submitted by Other Backward Class Candidates at the time of document verification, who had applied for the posts against GDCE Employment Notice No. - 01/2021**

"I, ………………………………………………………………………… son/daughter of Shri ………………………………………………………………………… resident of Village/Town/City ………………………………………… District ………………………………………… State ……………………………… hereby declare that I belong to the ……………………………… (indicate your sub caste) community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.03.1993 and its subsequent revision through O.M.No.36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27 05.2013 and 13.09.2017.

Place: Signature of the Candidate

Date: Name of the candidate